

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी



(2)

अनुमति वाद संख्या :- 574/2018-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

छैला ताम्बा  
विक्की टुटी

- विक्रेता  
- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित										
06.08.20	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक छैला ताम्बा पिता हेम्बुआ ताम्बा ग्राम-पन्दान टोली डुंगरा, थाना खूँटी जिला खूँटी ने विक्की टुटी पिता श्री सोरेंगा टुटी ग्राम-भूत पिडीडीह, थाना-खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="319 649 1436 772"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>डुंगरा</td> <td>217</td> <td>07</td> <td>671</td> <td>0.30</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 4146294 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 592 दिनांक 24.07.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम करमा मुण्डा वगैरह है। पंजी II के अनुसार छैला मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का रकबा 29.24 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 7.31 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2009-10 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 5962.00(पांच हजार नौ सौ बारसठ)रु० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 7.01 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण छैला ताम्बा पिता हेम्बुआ ताम्बा को विक्की टुटी पिता श्री सोरेंगा टुटी के साथ ग्राम डुंगरा के खाता सं० 07 खेसरा संख्या 671 कुल रकबा 0.30 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 5962.00(पांच हजार नौ सौ बारसठ)रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"> भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: center;"> भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)	डुंगरा	217	07	671	0.30	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)								
डुंगरा	217	07	671	0.30								